# राजकीय उन्नयन बस्तियों का रख–रखाव

वर्ष 1924 में ब्रिटिश काल में घोषित अधिनियम के अन्तर्गत अपराधीन जातियों को बसाने के उद्देश्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गयी। स्वतन्त्रता के बाद उन्हें अन्य नागरिकों की भंति स्वतन्त्र कर दिया गया। इनकों भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है ताकि वे अपनी प्रवृत्ति को बदल कर कार्य करें एवं रोजी–रोटी में लग कर आदर्श नागरिक के रूप में जीवन–यापन कर सकें।

कल्याणपुर (कानपुर), फजलपुर (मुरादाबाद) तथा साहबगंज (लखीमपुरखीरी) में उपनिवेश बनाकर इस जाति के लोगों को रोजगार एवं खेतीबारी में लगाकर पुर्नवासित किया गया है।